# कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :***ukmssbdun@gmail.com***; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone : ***0135-2665366***(O)


पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022–23/794 दिनांकः 06 सितम्बर, 2023

## –ःशुद्वि पत्रः–

## चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के रिक्त 1564 पदों हेतु अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची में आंशिक संशोधन

सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022–23/787, दिनांकः 04 सितम्बर, 2023 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के रिक्त 1564 पदों हेतु अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी, जिसके साथ संलग्न परिशिष्ट–''क'' में क्रम संख्या 51 पर अंकित अभ्यर्थी Mrs. SEEMA BHANDARI अनुक्रमांक 5020230690 के अनर्हता का कारण में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत अनर्हता का कारण अंकित हो गया है जिसे निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा हैः–

| परिशिष्ट 'क' में अंकित क्रम संख्या | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | अनर्हता का कारण | संशोधित अनर्हता का कारण |
|---|---|---|---|---|
| **51** | 5020230690 | Mrs. SEEMA BHANDARI | अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन दिवस में उपलब्ध कराए गए उत्तराखण्ड नर्सिंग एवं धात्री परिषद् पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 1652 दिनांक 05.12.2011 की वैधता दिनांक 04.12.2016 को समाप्त हो गई है। अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड नर्सिंग एवं धात्री परिषद् पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.02.2023 के उपरान्त दिनांक 26.05.2023 को नवीनीकृत कराया गया है, जो कि विज्ञापन के नियम 06 के अनुसार अर्हता धारित नहीं करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है। | अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में ओ0एल0 (OL) दिव्यांगता प्रदर्शित की गई है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन दिवस के उपलब्ध कराए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में बी0एल0 (BL) दिव्यांगता प्रदर्शित की गई है। चूंकि विज्ञापित पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त 11–f में स्पष्ट उल्लेख है कि ''दिव्यांग (पी0एच0) OL (One Leg Affected) को स्टाफ नर्स के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ''अभ्यर्थी वांछित दिव्यांगता उपश्रेणी को पूर्ण नहीं करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है। |

ह0/–
(प्रो0 विजय जुयाल)
परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।